न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 28/2018 (राजसमन्द आर्डर)

मुकेश पिता मांगीलाल जी पालीवाल, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पिता भैरूशंकर जी श्रीमाली, निवासी मजा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. गीता पत्नी जगदीश जी श्रीमाली, निवासी मजा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधि.1956 विरूद्ध निर्णय
जिला कलक्टर राजसमन्द दिनांक
31–05–2018 प्रकरण सं. 1/2015

———/———

उपस्थित :– 1– श्री अतुल पालीवाल अभिभाशक अपीलान्ट
2– श्री उत्तम प्रकाश आमेटा अभि.रे.सं. 1, 2
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय दिनांक

27–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मजा में आराजी नंबर 1569 रकबा 5 बिस्वा व 1572 रकबा 8 बिस्वा भूमि स्थित है, जो दिनांक 06–11–2007 को उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित की गयी थी, किन्तु उक्त आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है तथा आवंटन पूर्व नियमों की पालना नहीं की गयी है। विपक्षी ने तथ्यों को छुपाकर आवंटन प्राप्त किया है

तथा भूमिहीन काश्तकार नहीं है। उक्त भूमि पर वर्षो से कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है। अतः विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा आवंटन नियमानुसार होना बताया।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 31–05–2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–08–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित निर्णय की जानकारी उनके अधिवक्ता ने नहीं दी। दिनांक 06–08–2018 को प्रथम बार उनके अधिवक्ता ने उन्हें निर्णय की जानकारी दी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। दरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्णय के दिन प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित थे। यदि उनके अधिवक्ता ने उन्हें जानकारी नहीं दी तो उन्हें उनका शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। देरी के मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अतः अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 31–05–2018 को प्रार्थी/अपीलान्ट के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे अतः उनकी उपस्थिति अपीलान्ट/प्रार्थी की उपस्थिति मानी जायेगी। यदि उनके अधिवक्ता ने उन्हें निर्णय की जानकारी नहीं दी तो इस संबंध में उन्हें अपने अधिवक्ता का शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, जो पेश नहीं किया गया है। तद्नुसार अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री उत्तम प्रकाश आमेटा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया तथा बताया कि वादग्रस्त भूमि पर उसका 1973 से कब्जा है, फिर भी बिना कब्जे की जांच किये रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को आवंटन कर दिया गया है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर कथित आवंटन निरस्त किया जावे। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर चाहा गया, किन्तु बावजूद अवसर दिये जाने के उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गयी।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में बताया कि विवादित भूमि उसे विधिवत आवंटित की गयी है तथा उसके द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन शर्तो की पालना की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा लिखित बहस व न्यायिक नजीरें भो प्रस्तुत की गयी है जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

प्रकरण में हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि विधिवत मिसल कायम की जाकर आवंटन की कार्यवाही की गयी है तथा आवंटन पश्चात् आवंटी को कब्जा भी सिपुर्द किया गया है। वक्त आवंटन विवादित भूमि पर अपीलान्ट/प्रार्थी का कब्जा हो ऐसी कोई साक्ष्य उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत साक्ष्यों का विवेचन करते हुए जो निर्णय

पारित किया गया है, उसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31–05–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर